संख्याः 192/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0

(82)

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

श्री अभिषेक चौधरी,
अधिवक्ता,
53–लायर्स चैम्बर्स गार्डेन्स,
मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली–110001

न्याय अनुभागः1

देहरादून : दिनांक 11 जुलाई, 2012

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु एडवोकेट ऑन रिकार्ड के रूप में आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकार्ड के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया है।

2– उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3– आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–69/XXXVI(1)/2010–43–एक(1)/03 दिनांक 25–03–2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

4– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ कि यदि सहमत हों तो कृपया अपनी लिखित सहमति उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्याः 192(1)/XXXVI(1)/2012–75/2007 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
3– महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निजी सचिव।

क्रमश.....2